

ANNEXURE-‘A’

ALL CENTRAL GOVERNMENT EMPLOYEES, STATE GOVERNMENT EMPLOYEES. EMPLOYEES OF STATUTORY BODIES AND PUBLIC SECTOR UNDERTAKINGS. THEIR SPOUSE AND CHILDREN UPTO THE AGE OF 18 YEARS ARE REQUIRED TO PRODUCE AN INDENTITY CERTIFICATE (STRIKE OUT OPTIONS THAT ARE NOT APPLICABLE)

(To be given in Duplicate on Original Stationery)

Certified that Shri/Smt/Miss.....Son/Wife/Daughter of Shri.....who is and Indian national, is a temporary/permanent employees of Uttarakhand Power Corporation Ltd. (office address.....) from (date).....and is at present holding the post ofShri/Smt/Miss/Mst.....who is also an Indian national is/are a dependent family member(s) of Shri/Smt.....,and his/her identity is certified. This Ministry/Department/Organization has no objection to his/her acquiring Indian Passport. I, the undersigned, am duly authorized to sign this Identity Certificate. I have read the provisions of section 6(2) of the Passports Act, 1967 and certify that these are not attracted in case of this applicant. I recommend issue of an Indian Passport to him/her. It is certified that this organization is a Central/State Government/ Public Sector Undertaking/ Statutory body. The Identity Card Number of Shri/Smt/Miss (employee).....is.....

Ref No.&Date.....

Name, Designation, Address & Tel No.

Applicant's
photo to be
attested

Note : Refer Annexure 'F' for details of Section 6(2) of the Passports Act, 1967

(2)

गृह सम्पदा

गृह जहाँ स्थित है			गृह संख्या	अर्जित या पैतृक, यदि अर्जित की गई है तो उसके अर्जन का दिनांक	क्या स्वयं रहने के लिए प्रयोग कर रहे हैं या किराये पर दिया है	वार्षिक किराया	अनुमानित मूल्य	टिप्पणी
क्रम सं०	ग्राम/नगर/उप नगर	जनपद						
1	2	3	4	5	6	7	8	9

यदि मैं भविष्य में कोई अचल सम्पत्ति अर्जित करता/करती हूँ तो इस तथ्य को उपर्युक्त प्रपत्र में सम्पत्ति अर्जित करने के दिनांक/जानकारी पाने के दिनांक से एक माह के भीतर घोषित कर दूँगा/दूँगी।

हस्ताक्षर :

नाम :

पद :

दिनांक :

टिप्पणी :- अचल सम्पत्ति में ऐसा भवन व भूमि सम्पदा जो बंधक व पट्टे के रूप में अधिकारी/कर्मचारी या उसकी पत्नी/उसके पति या उसकी ओर से उसके कुटुम्ब का कोई सदस्य जो उसके साथ संयुक्त हो या साथ रहता हो या किसी प्रकार उस पर आश्रित हो, द्वारा धारित या प्रतिबन्धित हो तो इस घोषणा के प्रयोजनार्थ अधिकारी द्वारा ही धारित या प्रतिबन्धित की गई समझी जायेगी।

(ग) उनके लिए जिनके पास कोई हिस्से (Share) या जमा पूँजी (Investment) नहीं है।

मैं एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैं किसी हिस्से (Share) या जमा पूँजी (Investment) का स्वामी/स्वामिनी नहीं हूँ। यदि एतदपश्चात मैं कोई हिस्से अर्जित करूँगा/ करूँगी या जमा पूँजी लगाऊँगा/ लगाऊँगी तो मैं इस तथ्य की घोषणा सम्बन्धित अवधि की पंचवर्षीय घोषणा कर दूँगा/दूँगी।

हस्ताक्षर :

नाम :

पद :

दिनांक :

(घ) उनके लिए जो हिस्से (Share) के स्वामी/स्वामिनी हैं या जिनकी अन्य जमा पूँजी (Investment) है।

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैं निम्नलिखित हिस्से व जमा पूँजी रखता/रखती हूँ :-

हिस्से (Shares)

क्रम सं०	विवरण	अर्जित करने का दिनांक	प्रत्येक हिस्से का मूल्य	धारित हिस्से की संख्या	हिस्सों का क्रय मूल्य	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7

(4)

जमा पूँजी (Investments)

क्रम संख्या	विवरण	पूँजी लगाने की तिथि	मूल्य	टिप्पणी
1	2	3	4	5

यदि मैं आगे और हिस्से अर्जित करूँगा/ करूँगी या अन्य कहीं पूँजी लगाऊँगा/ लगाऊँगी तो मैं इस तथ्य की घोषणा सम्बन्धित अवधि की पंचवर्षीय घोषणा कर दूँगा/दूँगी।

हस्ताक्षर :

नाम :

पद :

दिनांक :

(च) केवल उनके लिए जिनके पास कोई चल सम्पत्ति नहीं है।

मैं एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे पास कोई चल सम्पत्ति नहीं है। यदि मैं एतदपश्चात भविष्य में कोई चल सम्पत्ति धारण करता/करती हूँ तो अपनी तत्सम्बन्धित अवधि की पंचवर्षीय घोषणा कर करूँगा/ करूँगी।

हस्ताक्षर :

नाम :

पद :

दिनांक :

(5)

(छ) उनके लिए जिनके पास चल सम्पत्ति है।

मैं एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैं निम्न प्रकार की चल सम्पत्ति का स्वामी/की स्वामिनी हूँ :-

क्रम सं०	सम्पत्ति का विवरण	क्रय धारण करने की तिथि	मूल्य	क्या क्रय/धारण करने हेतु पूर्व अनुज्ञा प्राप्त की गई थी, यदि हाँ तो उस अनुज्ञा की संख्या तथा दिनांक	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6

चल सम्पत्ति का तात्पर्य ऐसी प्रत्येक चल सम्पत्ति से है जिसका मूल्य कर्मचारी के एक माह के मूल वेतन से अधिक हो।

हस्ताक्षर :

नाम :

पद :

दिनांक :

संशोधित नवीन प्रारूप

परिषदाज्ञा सं० 367-जी/एसईबी-के-1-142ए/1980 दि० 24.02.1981 सपटित कारपोरेशन के परिपत्र सं० 2160-नि०(मा०सं०)/उपाकालि/21अनु०ए०/एफ-2, दि० 15.05.2007 के अनुसार विदेश गमन हेतु अनुमति/पारपत्र बनवाने/नवीनीकरण के लिये अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु वांछित सूचनायें

- 01- (अ) अधिकारी/अधिकारिक का नाम :
- (ब) पद :
- (स) पिता का नाम :
- (द) स्थाई पता :
- (य) यदि स्थायी हों तो पद तथा स्थायीकरण की तिथि :
- (र) यदि अस्थायी हों तो परिषद/कारपोरेशन में नियमित नियुक्ति की तिथि :
- 02- (अ) पूरा पता/विदेश में ठहरने का पूरा पता :
- (ब) विदेश जाने का प्रयोजन :
- (स) विदेश में ठहरने की अवधि :
- (द) कुल कितने दिनों का अवकाश अपेक्षित है ? :
- (य) विदेश गमन पर अनुमानित कुल परिव्यय :
- (र) धन का श्रोत :
- 03- (अ) यदि पहले भी जा चुके हों तो उस यात्रा का उद्देश्य :
- (ब) क्या पहले अनापत्ति प्रमाण पत्र की अनुमति अस्वीकृत हुई है ? :
- 04- निम्नलिखित के सम्बन्ध में लिखित प्रतिज्ञा दें :
- (अलग से संलग्न किये जायें)
- (अ) आवेदन क्रम सं०-2 (द) पर स्वीकृत अवकाश नहीं बढ़ायेंगे :
- (ब) यह यात्रा पूरी तरह से व्यक्तिगत होगी वह किसी राजनैतिक अथवा असामाजिक गतिविधियों में भाग/सम्मिलित नहीं होंगे। :

संलग्नक:-

आवेदक के हस्ताक्षर :
नाम/अभिज्ञान व सम्प्रेक्षा सं० :
एम्पलाई कोड :
पूरा पता :

- 05- (अ) इनके विरुद्ध कोई सर्तकता राज्य / परिषद / कारपोरेशन जांच लम्बित नहीं है।
(ब) इनके ऊपर कोई परिषदीय / कारपोरेशन का अवशेष लम्बित नहीं है।
(स) अधिकारी जिस विभाग में कार्यरत है, उस विभाग के कार्य में किसी प्रकार का कोई भी व्यवधान उपस्थित नहीं होगा।
(द) मेरे द्वारा पासपोर्ट अधिनियम-1967 की धारा 6(2) का अध्ययन कर लिया गया है। यह प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक के सन्दर्भ में उक्त धारा-6(2) के प्राविधान आकर्षित नहीं होते।

नियन्त्रक अधिकारी के
हस्ताक्षर :

पदनाम मुहर सहित:

विदेश गमन की अनुमति / पारपत्र बनवाने / नवीनीकरण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु प्रतिज्ञा पत्र

उपर्युक्त आदेश के संलग्न प्रपत्र के क्रमांक-4 के सन्दर्भ में मैं.....

.....निम्नलिखित के सन्दर्भ में लिखित प्रतिज्ञा

करता / करती हूँ :-

- (1) - कि मैं अपेक्षित अवकाश स्वीकृति के उपरान्त ही विदेश यात्रा पर प्रस्थान करूंगा / करूंगी तथा उक्त स्वीकृत अवकाशावधि की समाप्ति के पश्चात अवकाश नहीं बढ़ाया जायेगा।
- (2) - कि मेरी प्रस्तावित विदेश यात्रा का उद्देश्य विशुद्ध रूप से व्यक्तिगत है एवं विदेश यात्रा / विदेश प्रवास के दौरान मैं किसी भी राजनैतिक अथवा असामाजिक गतिविधियों में भाग नहीं लूंगा / लूंगी / सम्मिलित नहीं होऊंगा।
- (3) - कि मेरे विरुद्ध कोई विभागीय देय / विविध अग्रिम लम्बित नहीं है।
- (4) - कि मेरे विरुद्ध कोई सर्तकता (राज्य / विभागीय) जाँच लम्बित नहीं है।
- (5) - कि मेरे विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक / विभागीय कार्यवाही लम्बित नहीं है।
- (6) - कि मेरा आवेदन पासपोर्ट अधिनियम की धारा-6(2) के प्राविधानों से आकर्षित नहीं है।

दिनांक :

आवेदक के हस्ताक्षर :

पूरा नाम :

अभिज्ञान सं० :

सम्प्रेक्षा सं० :

एम्पलाई कोड :

पूरा पता :